बिल का सारांश

केरल लोक सेवा आयोग (कुछ निगमों और कंपनियों के संबंध में अतिरिक्त कार्य) संशोधन बिल, 2023

- केरल लोक सेवा आयोग (कुछ निगमों और कंपनियों के संबंध में अतिरिक्त कार्य) संशोधन बिल, 2023 को 8 मार्च, 2023 को केरल विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल केरल लोक सेवा आयोग (कुछ निगमों और कंपनियों के संबंध में अतिरिक्त कार्य) एक्ट, 1970 में संशोधन करता है। एक्ट कुछ राज्य निगमों को इस बात की अनुमति देता है कि वे भर्तियों के लिए केरल लोक सेवा आयोग से परामर्श ले सकते हैं।

- **नए निगमों को शामिल करना**: एक्ट के तहत एक निगम भर्ती के मामलों और सीधी भर्ती के जरिए नियुक्तियों के सिद्धांत के संबंध में केरल लोक सेवा आयोग से परामर्श ले सकता है। इन निगमों में केरल राज्य वित्तीय निगम, केरल राज्य भंडारण निगम, केरल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और केरल जल आपूर्ति प्राधिकरण शामिल हैं। इनमें ताड़ी, हेडलोड और मोटर परिवहन श्रमिकों के लिए श्रम कोष और कल्याण कोष के बोर्ड भी शामिल हैं। बिल निगमों की सूची का विस्तार करता है। ये निगम हैं: (i) केरल कृषि श्रमिक कल्याण कोष बोर्ड, (ii) केरल भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, (iii) केरल दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान श्रमिक कल्याण कोष बोर्ड, और (iv) केरल आबकारी श्रमिक कल्याण कोष बोर्ड।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

हर्षित पडिया
harshit@prsindia.org

17 मई, 2023